

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
95/16	53, 188 Pt 4	श्रीदश	बिबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रेम नारायण	बनाम	सोहरा वरि	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

11/8/16	वकील वादी... द्वारा एक न्यायालय में पेश किया विरुद्ध प्रतिवादी का रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जय सम्पन्न कर प्रकरण दिनांक 7/11/16 को पेश हो।	11/25/17 5,6 का 20
29/10/16	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्वक स्थिति में दिनांक 5/11/16 को पेश हो।	16-11-16
16/11/16	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वक स्थिति में दिनांक 21-12-16 को पेश हो।	21/12/16
17/12/16	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे / अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्वक स्थिति में दिनांक 3/5/17 को पेश हो।	1-2-17
3/5/17	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्वक स्थिति में दिनांक 22/5/17 को पेश हो।	3/5/17

पत्रावली के माध्यम से राजकीय लोक अदालत / केम्प कोर्ट के माध्यम से कार्यवाही नहीं हो रही है। आज पत्रावली पूर्वक स्थिति में दिनांक को पेश हो।

राजकीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2017 अति-आवश्यक

सोहरा वरि उपर्युक्त पत्रावली पर पत्रावली जय संभव रिपव डि. 11/11/17 को पेश हो

क्र. 10-शोहरा वरि

कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

१/२०

कार्यवाही संकेत
न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक ११.११.२० को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

११/२०

कार्यवाही संकेत
आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक ११.११.२० को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

१२/२०

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक १३.०१.२१ को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

१०/२१

पत्रावली पेश हुई। बहुत लम्बे कारिकेन उपस्थित।
तदर्थीलेदार इकाय से विभाजन प्रस्ताव प्रारम्भ
मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुशर पक्षकारान के
अध्यक्ष पृथक-पृथक विभाजन निम्न प्रकार किया
जाता है।

क्रम सं.	नाम रखनेदार	रक.न.	रक.वा	विवरण
१-	प्रेमनारायण पिता हीशालाल पतिनीमां शा. नकडी खेडा रहन ५८ ५५ शारवा कोटडी	५६	१०१२	बारा

कितना - रकवा १०१२ कीया

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक	क्र.सं.	नाम स्वामिनी	रक. नं.	रक. का	विस्तार
	2-	नंद किशोर, रामवरण पिता लक्ष्मी लाल दि. 338 मोहराज पुत्र मोतीलाल दि. 169/2188, सोदरकाई पोल लड्डू लाल दि. 217/1094 जाति भीमा सो. काकडीरेवाडा, शीरणसिंह पुत्र शशीलाल दि. 32/547, भीमा सो. गोविंदपुरा रहन, वे. 2, फोंफ वडोदा शाखा इलाहाबाद, रामवरण, नंद किशोर का दि. 228 SBBJ (A.D.B.) शाखा इलाहाबाद दि. मोहराज, वलराज का	46/1	- 6.17 -	बाराही माल केलाक

किता - 1 रक. का 6.17 कीया

उपरोक्त विवेचनापुस्तक पश्चात्तराज के मध्य
पृथक-पृथक किया जाकर विभाजन किया जाकर -
नदशीलदार इलाहाबाद को राजस्व रिवाइड में भयल
दराजद करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं। तदनुसार
अंतिम डिक्री जारी है। पत्रवली फेब्रुअरी शुभार
शेकर दाखिल दफतर है।

सपखाड अधिकारी
इलाहाबाद जिला बाराँ (रा.प.)

डिप्टिग डिप्टी

96/016

पारा संतर्गत 53,188 RTA

निर्णय दिनांक 10/2/2021

मस: - द्वारा मनीषा तिवारी RAS उपखण्ड अधिकारी इलाहाबाद जिला- बारां

उपस्थिति: - अभिभाषक वादी उमाशंकर गोदामी एडवा. अभिभाषक प्रतिवादी EXPARTY

वाद शीर्षक

- 1- प्रेमनारायण पुत्र हीरालाल मीना तिवारी कावडी शेवडा तहसील इलाहाबाद जिला- बारां
- 2- सादराकाई पालि लड्डूखाल मीना कावडी शेवडा
- 3- कल्लोवती वना मोगीलाल मीना कावडी शेवडा
- 4- नंदकिशोर पुत्र जमनलाल मीना कावडी शेवडा
- 5- शंभुशरण पुत्र जमनलाल मीना कावडी शेवडा तहसील इलाहाबाद जिला- बारां
- 6- मनीषा पुत्र राधेश्याम जाति नाभेदेव तिवारी दर्जा कोहल्ला इलाहाबाद
- 7- राज. सरकार जय तहसील दार इलाहाबाद जिला- बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुसंग डिप्टी निर्गत की जाती है कि

मुताबिक तहसीलदार इलाहाबाद से

प्राप्त विभाजन परतीक अनुसार पक्षा भारत के मध्य प्रथम-प्रथम विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है।

क.सं.	नाम स्वतंत्रदार	ख.ता.	रकबा	कि.सं.
1-	प्रेमनारायण पिता हीरालाल जाति मीना सा. कावडी शेवडा	46	-	1.12
	रहन SBBJ शाखा कोपडी			
		किला- 1	रकबा 1.12 बीघा	

साथ ही निम्नानुसार..... रु. का व्ययानुतोष..... द्वारा..... को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक..... 10/2/2021..... को निर्गत किया गया।



हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला- बारां (लमड़ा)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
	योग		